भारत – फ्रांस
वायु सेवा समझौता
अक्टूबर 1971 में पेरिस में हुई चर्चाओं के
निष्कर्षों का सारांश

----

1. 4 अक्टूबर 1971 को पेरिस में अंतर-सरकारी परामर्श आरंभ हुए, जो भारत सरकार और फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच दिनांक 16 जुलाई 1947 को किए गए, 30 अक्टूबर 1961 और 31 जनवरी 1969 को संशोधित वायु सेवा समझौते के आधार पर थे।

प्रतिनिधिमंडलों की संरचना परिशिष्ट – क में दी गई है।

2. भारत सरकार और फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधिमंडलों ने सहमति व्यक्त की कि दिनांक 16 जुलाई 1947 को किए गए, 30 अक्टूबर 1961 और 31 जनवरी 1969 को संशोधित वर्तमान वायु सेवा समझौते के अनुबंध की धारा I और धारा II को निम्नलिखित रूप में संशोधित कर पढ़ा जाएगा:

"धारा I"

फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार द्वारा नामित एक विमान सेवा को इस धारा में निर्दिष्ट मार्ग पर दोनों दिशाओं में हवाई सेवाएँ संचालित करने और निर्दिष्ट प्रत्येक प्वाइंट पर भारत के क्षेत्र में यातायात प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार होगा।

फ्रांस – जर्मनी में एक प्वाइंट – ऑस्ट्रिया में एक प्वाइंट – स्विट्जरलैंड में एक प्वाइंट – इटली में एक प्वाइंट – चेकोस्लोवाकिया में एक प्वाइंट – यूगोस्लाविया में एक प्वाइंट – यूनान में एक प्वाइंट – तुर्की में एक प्वाइंट – यू.ए.आर. में एक प्वाइंट – लेबनान में एक प्वाइंट – इज़राइल में एक प्वाइंट – सऊदी अरब में एक प्वाइंट – इराक में एक प्वाइंट – ईरान में एक प्वाइंट – अफगानिस्तान में एक प्वाइंट – पाकिस्तान में एक प्वाइंट – दिल्ली या बंबई तक और आगे बर्मा में एक प्वाइंट – थाईलैंड में एक प्वाइंट – कंबोडिया में एक प्वाइंट – लाओस में एक प्वाइंट – वियतनाम में एक प्वाइंट – फिलीपींस में एक प्वाइंट – चीन में एक प्वाइंट – बिआक – न्यू कैलेडोनिया में एक प्वाइंट – हांगकांग – जापान में एक प्वाइंट ।

"धारा II"

भारत सरकार द्वारा नामित एक विमान सेवा को इस धारा में निर्दिष्ट मार्ग पर दोनों दिशाओं में हवाई सेवाएँ संचालित करने और निर्दिष्ट प्रत्येक प्वाइंट पर फ्रांस के क्षेत्र में यातायात प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार होगा।

भारत – पाकिस्तान में एक प्वाइंट – अफ़गानिस्तान में एक प्वाइंट – बहरीन – कुवैत में एक प्वाइंट – खाड़ी में अन्य प्वाइंट और ट्रुशियल ओमान में एक प्वाइंट – सऊदी अरब में एक प्वाइंट – ईरान में एक प्वाइंट – इराक में एक प्वाइंट – इज़राइल में एक प्वाइंट – लेबनान में एक प्वाइंट – यू.ए.आर. में एक प्वाइंट – तुर्की में एक प्वाइंट – यूनान में एक प्वाइंट – यूगोस्लाविया में एक प्वाइंट – चेकोस्लोवाकिया में एक प्वाइंट – इटली में एक प्वाइंट – स्विट्जरलैंड में एक प्वाइंट – ऑस्ट्रिया में एक प्वाइंट – यू.एस.एस.आर. में एक प्वाइंट – जर्मनी में एक प्वाइंट – पेरिस या नीस तक और आगे बेल्जियम में एक प्वाइंट – नीदरलैंड में एक प्वाइंट – स्कैंडिनेविया में एक प्वाइंट – यूनाइटेड किंगडम में एक प्वाइंट – आयरलैंड में एक प्वाइंट – मॉन्ट्रियल – न्यूयॉर्क।"

3. दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने सहमति व्यक्त की कि उपर्युक्त संशोधनों की पुष्टि यथाशीघ्र, वायु सेवा समझौते के अनुच्छेद X बी के अनुसरण में राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा की जाएगी।

4. दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने सहमति व्यक्त की कि एयर फ्रांस प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह पाँच ट्रांजिट सेवाएँ, बोइंग 747 या 707 विमान द्वारा, भारत के माध्यम से संचालित कर सकती है, जिसमें वायु सेवा समझौते के अनुबंध की धारा-I में निर्दिष्ट मार्ग के सभी खंडों पर पूर्ण यातायात अधिकार होंगे (संशोधित रूप में), इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह 3 से अधिक सेवाएँ दिल्ली होकर और 2 से अधिक सेवाएँ बंबई होकर नहीं जाएँगी तथा इस अतिरिक्त शर्त के अधीन कि एयर फ्रांस को एक ही सेवा पर भारत में एक से अधिक प्वाइंट पर यातायात अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा। यह सहमति हुई कि दिनांक 1 अप्रैल 1973 से प्रभावी होकर, एयर फ्रांस प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह छह ट्रांजिट सेवाएँ, बोइंग 747 या 707 विमान द्वारा, भारत के माध्यम से संचालित कर सकती है, जिसमें वायु सेवा समझौते के अनुबंध की धारा I में निर्दिष्ट मार्ग के सभी खंडों पर पूर्ण यातायात अधिकार होंगे (संशोधित रूप में), इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह चार से अधिक सेवाएँ दिल्ली होकर नहीं जाएँगी और तीन से अधिक सेवाएँ बंबई होकर नहीं जाएँगी तथा इस शर्त के अधीन कि एयर फ्रांस को एक ही सेवा पर भारत में एक से अधिक प्वाइंट पर यातायात अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा।

5. यह भी सहमति हुई कि एअर इंडिया प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह छह ट्रांजिट सेवाएँ, बोइंग 747 या 707 विमान द्वारा, पेरिस होकर संचालित कर सकती है, जिसमें वायु सेवा समझौते के अनुबंध की धारा II में निर्दिष्ट मार्ग के सभी खंडों पर पूर्ण यातायात अधिकार होंगे (संशोधित रूप में)। यह सहमति हुई कि 1 अप्रैल 1973 से प्रभावी होकर एअर इंडिया प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह सात ट्रांजिट सेवाएँ, बोइंग 747 या 707 विमान द्वारा, पेरिस होकर संचालित कर सकती है, जिसमें वायु सेवा समझौते के अनुबंध की धारा-II में निर्दिष्ट मार्ग के सभी खंडों पर पूर्ण यातायात अधिकार होंगे (संशोधित रूप में)।

6. आगे यह सहमति हुई कि यदि किसी लगातार 12 माह की अवधि में भारत से फ्रांस और फ्रांस से भारत जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या एअर इंडिया की सेवाओं पर 13,500 तक पहुँच जाती है, तो एयर फ्रांस , उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में बंबई और नई दिल्ली के बीच आवृत्तियों के आवंटन से संबंधित उपबंधों के अधीन, भारत के माध्यम से प्रति सप्ताह कुल 6 आवृत्तियाँ संचालित कर सकती है, और एअर इंडिया फ्रांस के माध्यम से कुल 7 आवृत्तियाँ संचालित कर सकती है, जब तक कि दोनों विमान सेवाएँ एयर फ्रांस द्वारा छठी आवृत्ति और एअर इंडिया द्वारा सातवीं आवृत्ति को पहले

शुरू करने पर परस्पर सहमत न हो गई हों। ऐसी स्थिति में, एयर फ्रांस और एअर इंडिया द्वारा क्रमशः उच्चतर आवृत्ति स्तर ऐसी पहले की तारीख से शुरू किया जा सकता है।

7. उपर्युक्त पैराग्राफ 6 के प्रयोजनों के लिए, वैमानिक प्राधिकारी विमान सेवाओं द्वारा वहन किए गए यातायात के आँकड़ों का बार-बार और नियमित रूप से आदान-प्रदान करेंगे।

8. मई 1960 में नई दिल्ली में हुई चर्चाओं में पहुँचे निष्कर्षों के सारांश के पैराग्राफ 6 तथा जुलाई 1967 में नई दिल्ली में हुई चर्चाओं में पहुँचे निष्कर्षों के सारांश के पैराग्राफ 6 के स्थान पर, यह सहमति हुई कि पेरिस और मॉन्ट्रियल/न्यूयॉर्क के बीच एअर इंडिया द्वारा यातायात अधिकारों के प्रयोग पर उनमें निर्धारित प्रतिबंध अब लागू नहीं होंगे।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 8 के उपबंध तब प्रभावी होंगे जब एयर फ्रांस और एअर इंडिया क्रमशः पैराग्राफ 5 और 6 के अनुसार अतिरिक्त आवृत्तियाँ संचालित करने के हकदार हो जाएँगी।

10. अंततः यह सहमति हुई कि यहाँ निर्दिष्ट व्यवस्थाएँ आज की तारीख से लागू होंगी और पारस्परिक सहमति से संशोधित किए जाने तक लागू रहेंगी।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से सहमति	फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल की ओर से सहमति
ह/-	ह/-
एन सेहगल	बी. लाथियेरे

पेरिस, 6 अक्टूबर 1971

परिशिष्ट-क

भारतीय प्रतिनिधिमंडल

सरकार:

श्री एन. सेहगल – सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

श्री बी.एस. गिडवानी – उप महानिदेशक, नागर विमानन

श्री एम.के.राव – काउंसलर, भारतीय दूतावास

विमान सेवा:

एयर मार्शल, एम.एस. चतुर्वेदी – महाप्रबंधक, एअर इंडिया

श्री एन.एच.दस्तर – यूरोप के क्षेत्रीय प्रबंधक, एअर इंडिया

श्री एल जे पी डी एनड्रियेड – वाणिज्यिक प्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एअर इंडिया

श्री एस.के. दत्ता – योजना प्रबंधक, एअर इंडिया

श्री एम. बेरीट्टो – फ्रांस प्रबंधक, एअर इंडिया

फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल

सरकार:

श्री आर लाथियेरे – हवाई परिवहन निदेशक

श्री आर ऐसपेरोव – उप निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मामले, डी.टी.ए.

श्री एम सोशी – द्विपक्षीय वार्ता ब्यूरो, डी.टी.ए.

श्री जे बी डी वेवरे – मिशन अधिकारी, विदेश मंत्रालय

विमान सेवा:

श्री जी पी सेरेंट – समझौतों के उप निदेशक, एयर फ्रांस

श्री सीआई डेलेमास – वायु अधिकार प्रभाग, एयर फ्रांस

श्री सीआई पेनिआ – भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधि, एयर फ्रांस

*****